//प्रेस–विज्ञप्ति//

क्रमांक/2754/आदि.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2023–24 गरियाबंद,दिनांक 29/11/2023

गरियाबंद जिला अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय/महाविद्यालयों, विश्व विद्यालय के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2023–24 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही** http://postmetric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक वर्ष 2023–24 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है :–

क्रं.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण)	दिनांक 28.11.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 20.01.2024
3.	Sanction Oder Lock करने हेतु	दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 24.01.2024

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2023–24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा। एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Oder Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैक खाता नम्बर की प्रविष्ट** ही करना सुनिश्चित करें।
2. सत्र 2023–24 से विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किये गये आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. (OTP) के माध्यम से किया जाना है। विद्यार्थी **आधार नम्बर पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर की प्रविष्ट आवेदन करते समय करना सुनिश्चित करें"।**

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास गरियाबंद

D:\pankaj kumar nirmalkar\Lettar_PM 25-02-2021-2022-23.11.doc

पृ.क्रमांक/2755/आदि.वि./आ.ला.पो.मै.छा./2023–24 गरियाबंद,दिनांक 29/11/2023

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी,गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. सर्व कार्यालय प्रमुख/प्राचार्य शासकीय/अशासकीय, विश्व विद्यालय/ महाविद्यालय.., जिला–गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है, कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सूनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास गरियाबंद

D:\pankaj kumar nirmalkar\Lettar_PM 25-02-2021-2022-23.11.doc